

1 निचो भूमि में ताजाक निर्माण हेतु आवेदन पत्र

9 कि.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 महत्वपूर्ण विकास अधिकरण  
 जिला-तामर-२०१०

क्रिया:- स्वयं की भूमि पर ताजाक निर्माण हेतु आवेदन पत्र ।

नियेदन हे कि आवेदक महत्वपूर्ण विकास अधिकरण योजनाधीन स्वयं की भूमि पर /स्वयं के खय से काली पालन हेतु ताजाक निर्माण कराना चाहता हूँ । मेरा व्यक्तिगत स्वयं भूमि संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

1. भूमि स्वामी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. निवासी ग्राम व पोस्ट .....
4. जिला/तहसील जिला-तामर .....
5. भूमि क्रमांक/प्लॉट/वि.क्र. का नाम .....
6. आवेदक के स्वामित्वाधीन कुल भूमि का रकबा.....हेक्टर. अंशर नं.....
7. ताजाक निर्माण हेतु प्रस्ता. भूमि का रकबा.....हेक्टर. अंशर नं.....
8. भूमि पर वर्तमान का विवरण.....

उक्त भूमि पर काली पालन हेतु ताजाक निर्माण के लिये कार्याधीन स्वयं आवेदक एवं/अनुदान करावला उपलब्ध कराने की हवा है । मैं ताजाक निर्माण हेतु अधिकरण एवं ईड की शर्तों का पूर्णतः पालन करूँगा ।

यदि ताजा अंशर/ नया: को प्रमाणों में संलग्न है ।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता.....

नोट:-आवेदक के अंशर पर हस्ताक्षरित आवेदन स्विकार नहीं किया जायेगा यदि स्वामी व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत करें ।

ताजाक निर्माण के 10 वर्षों की अवधि तक ताजाक स्वामी ताजाक में अल्प वृद्धि करने हेतु मांग कर सकता है राज्य सरकार नियम के तहत देव अनुदान राशि को काली का अधिकतर अधिकरण को छोड़ता ।

कार्याधीन उपबोध हेतु -

उपरोक्त एवं केवल अध्यापक अधिकारी/अधिकारी को दीया:- दिनांक.....

.....  
 .....  
 .....